न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार, आर0जे0एस0
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 1252/2023 (663/2015)
सीआईएस संख्या : 2233/2015

हीरा देवी ब ना म मूलचचंद व अन्य

अपराध अन्तर्गत धारा 504, 354, 34 भारतीय दण्ड संहिता

भाग प्रथम

क

परिवादिया	हीरा देवी पत्नि स्व. श्री भौरेलाल निवासी हमीरपुर थाना प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.
प्रस्तुतकर्ता	श्रीमति हीरा देवी, परिवादिया जरिये अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र शर्मा
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. मूलचंद पुत्र रामधन, 2. रामस्वरूप पुत्र रामधन, 3. नेहरू पुत्र मूलचंद, समस्त निवासीयान हमीरपुर थाना प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर, राज.।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री बनवारी लाल शर्मा

ख

क्रम संख्या	चरण	दिनांक
1.	प्रकरण संस्थित हुआ	12.11.2015
2.	आरोप विरचित कर सुनाया गया	25.03.2026, 15.04.2026
3.	साक्ष्य अभियोजन खोली गयी	15.04.2026
4.	अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी	21.04.2026
5.	परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी	21.04.2026
6.	साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश की गयी	.....
7.	बहस अंतिम सुनी गयी	21.04.2026
8.	अंतिम निर्णय	21.04.2026

ग

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े	अभियुक्त पर आरोप का	दोषसिद्धि या	दिये गए	धारा 428 दं.प्र. सं. के परिप्रेक्ष्य

			जाने की तिथि	विवरण	दोषमुक्त	दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	हेतु अवधि
1. 2. 3.	मूलचंद रामस्वरूप नेहरू			धारा 504, 354, 34 भारतीय दण्ड संहिता	धारा 504 भा.द.सं. में पूर्व में उन्मोचित किया गया तथा धारा 354.34 भा.द.सं. में दोषमुक्त किया गया।		

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0ड0 1	हीरादेवी	परिवादिया/ पीडिता

ब–बचाव पक्ष

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

स–न्यायालय गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चष्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

————————

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
अ–अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	परिवाद पत्र
2.	प्रदर्श पी–2	धारा 151 दं.प्र.सं. में बंद किये जाने के आदेश की सत्यप्रति
3.	प्रदर्श पी–3	मेजरनामा

–:: निर्णय ::– दिनांक : 21.04.2026

1. प्रकरण में परिवादिया हीरा देवी द्वारा परिवाद पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी के समक्ष पेश हुआ। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश से उक्त प्रकरण इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त हुआ। उक्त प्रकरण का एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. संक्षेपतः में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिया हीरा देवी ने परिवाद पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी में दिनांक 12.11.2014 को अप्रार्थीगण/अभियुक्तगण मूलचंद, रामस्वरूप व नेहरू के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि दिनांक 11.11.2014 को समय सुबह करीब 07.00 बजे प्रार्थीया ग्राम हमीरपुर में अपने खेत पर स्थित कुंए पर अकेली गई थी। वहां पर पहले से ही घात लगाये मुल्जिमान मूलचंद, रामस्वरूप, नेहरू बैठे हुए थे। मुल्जिमानो ने उसे वहां पर घेर लिया तथा उसे मां बहिन की गंदी गंदी गालियां निकालने लग गये। मुल्जिमान मूलचंद ने उसका हाथ पकड लिया और उसकी लूगडी उतार दी तथा रामस्वरूप ने उसके ब्लाउज में हाथ डाल दिया तथा मुल्जिमान नेहरू ने उसकी चोटी पकडकर उसकी बेइज्जती की। जोर जोर से चिल्लाई तब बीच बचाव लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र तथा केसरी पत्नि बाबूलाल निवासी हमीरपुर ने करवाया। उक्त घटना की सूचना थाने पर भी दी थी जिसकी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और अदालत में कार्यवाही करने को कहा.....आदि पर हस्तगत प्रकरण न्यायालय में दर्ज होना दर्शित है। तत्पश्चात् परिवादिया के बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. व अन्य गवाहान केसरी देवी व लक्ष्मण के बयान अंतर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. में लेखबद्ध किये जाकर प्रकरण में दिनांक 03.11.2026 को बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 504, 354, 34 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी प्रकरण के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रीचार्ज साक्ष्य लेखबद्ध की गई तथा परिवादिया हीरा देवी के बयान पी0ड0 1 के रूप में लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् प्री चार्ज साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 504, 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप में उन्मोचित किया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 354, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत् आरोप विरचित करने के आदेश दिये गये।

4. अभियुक्तगण को धारा 354, 34 भारतीय दंड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. बाद प्री चार्ज साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से परिवादिया हीरा देवी से जिरह करने की आवश्यकता जाहिर करते हुए बाद प्रीचार्ज साक्ष्य में परिवादिया को उपस्थित करवाने का निवेदन किया। जिस पर अधिवक्ता परिवादिया ने परिवादिया का बाद प्री चार्ज साक्ष्य मे उपस्थित करने से इंकार किया तथा शेष अन्य गवाहान की बाद प्री चार्ज साक्ष्य नहीं करवाना चाहा।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाए व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए।

7. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षियों द्वारा झूठे कथन करना बताते हुए जाहिर किया कि उन्हें प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं चाहा।

8. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता परिवादिया ने दौराने बहस तर्क दिया कि गवाह के कथनों से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। परिवादिया के बयानो में तनिक मात्र भी विरोधाभास नहीं है। उक्त तर्को के साथ अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर समुचित दंड से दंडित करने का निवेदन किया।

9. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष का तर्क रहा है कि प्रकरण में केवल मात्र परिवादिया की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई है, परिवादिया ने अपने परिवाद के समर्थन में अन्य किसी गवाह को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण को धारा 504, 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप से उन्मोचित किया जा चुका है। परिवादिया की लज्जा भंग करने के संबंध में सुदृढ साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। प्रकरण में अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है। वे निर्दोष हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं होता है। उक्त तर्को के साथ अभियुक्तगण को आरोपित

अपराध से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10. उभय पक्षो के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रकरण में विचारणीय बिन्दू यह है कि :–

क. ''क्या दिनांक 11.011.2014 को समय प्रातः करीब 07.00 ए0एम0 पर मौजा ग्राम हमीरपुर में अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया हीरा देवी की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

ख. ''**यदि हां, तो अभियुक्तगण किस दंड के पात्र हैं?**''

11. प्रकरण में प्री चार्ज साक्ष्य में परिवादिया की ओर से स्वयं परिवादिया **हीरा देवी पी0ड0 1** ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया कि घटना करीब 5 साल पहले शाम को करीब 7–8 बजे की है। वह अकेली अपने खेत पर स्थित कुंए पर गई थी। वह अपने कुंए पर गई तब मूलचंद, रामस्वरूप, नेहरू पहले से ही छिपकर बैठे हुए थे। पहले से ही इन लोगो की उसके उपर गंदी नजर थी। जब वह कुंए पर गई तब मूलचंद ने उसकी लूगडी उतार दी और रामस्वरूप ने उसके ब्लाउज में हाथ डाला और नेहरू ने उसकी चोटी पकड ली और उन लोगो ने उसकी बहुत बुरी हालत बनाई। इन लोगो ने उसके साथ छेंड छाड की। जब वह चिल्लाई तो उसे बचाने के लिए लक्ष्मण और केसरी आए। इसका उसने अदालत में परिवाद प्रदर्श पी 1 पेश किया था। पुलिस ने इन लोगो को 151 सीआरपीसी में थाने में बंद किया था जिसकी सत्यप्रति उसने पेश की थी जो प्रदर्श पी 2 एवं मेजरनामा प्रदर्श पी 3 है। **बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है** कि वह दिनांक के बारे में नही समझती है। झगडा कुंए पर हुआ था। तीनो अभियुक्तो के पास लाठी थी। लाठी से उसके कोई चोट नहीं मारी बल्कि उसकी बेइज्जती की। उसका थाना प्रतापगढ है। उनका एक सामलाती कुंआ है जिस पर बिजली का कनेक्शन रामस्वरूप और मूलचंद के नाम से है। परंतु पैसे उन सभी ने दिये थे। पानी नही देने की बात को लेकर भी उनका झगडा है। मूलचंद घटना वाले दिन सफेद रंग की धोती, कुर्ता पहन रखा था और उसने नीला घाघरा और पीला ब्लाउज व पीला लूगडा पहना था। नेहरू उसके बांए हाथ की तरफ खडा था और मूलचंद पीछे तथा रामस्वरूप उसके आगे था। उसके खेत में जौ थे और मुल्जिमान के खेत में जौ और चने थे। आस पास में और लोगो के भी खेत है। झगडे के वक्त दो व्यक्ति केसरी और लक्ष्मण आए। झगडा होने के 15 मिनट बाद ये लोग पहुंचे थे। उसे मूलचंद ने पकड कर

नीचे गिरा दिया था तथा तीनो ने उसके साथ लात घूंसो व लाठी से मारपीट की थी। मूलचंद ने उसके पीछे लात से व डण्डे से खींचकर मारी थी। रामस्वरूप उसकी छाती पर बैठ गया था। नेहरू ने उसकी चोटी पकड कर नीचे गिरा दिया था और लात की उसके कमर में मारी थी। नीचे गिरते हीं उसकी आंख बंद हो गई, उसे कोई सुध नहीं रही। नेहरू ने उसका ब्लाउज फाड दिया, मूलचंद ने उसकी लूगडी उतार कर फेंक दी। यह कहना गलत है कि उनका बिजली का झगडा होने की वजह से ही झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया है।

12. प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य का अवलोकन किया गया। मुताबिक परिवाद प्रदर्श पी 1 प्रकरण में घटना दिनांक 11.11.2014 को समय करीब सुबह 07.00 बजे की होना दर्शित है। संक्षिप्त में घटना पर दृष्टि डाले तो **दिनांक 11.11.2014 को सुबह 07.00 बजे परिवादिया हीरा देवी खेत पर स्थित कुंए पर अकेली गई थी वहां पर मुल्जिमान उसे घेरकर उसे गंदी गालियां दी और मुल्जिम मूलचंद उसका हाथ पकड लिया और लूगडी उतार दी तथा रामस्वरूप ने ब्लाउज में हाथ डाला और मुल्जिम नेहरू ने हीरा देवी की चोटी पकडकर उसकी बेइज्जती की।** आदि तथ्यों पर परिवादिया का परिवाद विरूद्ध अभियुक्तगण दर्ज होना दर्शित है। उपरोक्त अभियोजन कहानी के आधार पर अभियुक्तगण पर धारा 354, 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध का आरोप है। क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर उपरोक्त अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने मे सफल रहा है या नही ? इस संबंध में साक्ष्य का विश्लेषण किया जाए तो प्रकरण में परिवादिया हीरा देवी ने स्वयं को पी0ड0 1 के रूप में परीक्षित कराया है। जो कि बाद चार्ज साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुई है एवं अन्य कोई शेष गवाह भी परिवादिया की ओर से परीक्षित नहीं करवाये गये है। परिवादिया पी0ड0 1 हीरा देवी के परिवाद प्रदर्श पी 1 के मुताबिक मुल्जिमान ने वक्त घटना उसके साथ गाली गलोच की व उस पर हमला व आपराधिक बल का प्रयोग कर उसकी लज्जा भंग करी। परिवादिया पी0ड0 1 हीरा देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा परिवाद में अंकित कथनानुसार कथन करते हुए मुल्जिमान द्वारा उसकी बुरी हालत कर देने की साक्ष्य दी है तथा अभियुक्तगण को धारा 151 सीआरपीसी में पुलिस द्वारा बंद करवाने का कथन करते हुए जिरह में वक्त घटना तीनो अभियुक्तगणो के पास लाठी होना बताया है और स्पष्ट कथन किया है कि पानी नहीं देने की बात को लेकर उनका झगडा है। तथा जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि घटना के दौरान लक्ष्मण व केसरी ने उसका बचाव किया था। परंतु उक्त गवाह केसरी व लक्ष्मण ना ही तो प्री चार्ज साक्ष्य में परिवादिया

की ओर से बयान देने आए है और ना ही बाद चार्ज साक्ष्य में परिवादिया ने उक्त शेष गवाहान को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया है। जिस कारण बचाव पक्ष को परिवादिया हीरा देवी से जिरह करने का अवसर नही मिला है। अतः इस प्रकार प्रकरण में परिवादिया का ही एकमात्र कथन कि उसके साथ मुल्जिमान ने गाली गलोच की व उसकी लज्जा भंग करी न्यायालय के समक्ष है। यहां यह उल्लेखनीय है कि परिवादिया स्वयं ने अपनी जिरह में बिजली का कनेक्शन तथा पानी नहीं देने की बात को लेकर मुल्जिमान से झगडा होना बताया है। जो कि प्रकरण में घटना कारित होने के हेतुक को भी काफी हद तक स्पष्ट करता है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में परिवादिया ने अपनी जिरह में उसके साथ मुल्जिमान द्वारा लात घूंसो व लाठी से मारपीट करने की साक्ष्य दी है। जबकि अपनी मुख्य परीक्षा में परिवादिया ने लडाई झगडे के संबंध में तनिक मात्र भी कोई कथन नहीं किया है। अतः सर्वप्रथम तो अभियुक्तगण पर मारपीट करने का कोई आधार नहीं है और दूसरा परिवादिया की जिरह में दिये गये कथन के आधार पर तनिक मात्र भी यदि यह माना भी जाए कि वक्त घटना परिवादिया के साथ मुल्जिमान ने मारपीट करी तो यहां यह उल्लेखित किया जाना न्यायालय उचित पाता है कि मारपीट के दौरान गिरने पडने से कपडो का इधर उधर होना स्वभाविकता को दर्शाता है। पंरतु अभियुक्तगण ने आशययपूर्ण तरीके से परिवादिया की लज्जा भंग करने आशय से उस पर हमला किया हो, इसे प्रमाणित करने के लिए सुदृढ साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण मे बचाव पक्ष द्वारा परिवादिया से बाद प्री चार्ज साक्ष्य में परिवादिया से प्रतिपरीक्षा करने की आवश्यकता होना जाहिर करते हुए उसे साक्ष्य में उपस्थित करवाने का निवेदन किये जाने पर परिवादिया ने स्वयं को उपस्थित नही किया है जिस कारण बाद प्रीचार्ज साक्ष्य में बचाव पक्ष को प्रतिपरिक्षा करने का अवसर नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में परिवादिया के द्वारा प्रस्तुत अभियोजन कहानी विश्वसनीयता के तराजू पर हल्की हो जाती है। इसके अतिरिक्त परिवादिया के परिवाद में अंकित कहानी की संपुष्टि हेतु कोई स्वतंत्र गवाह भी परिवादिया की ओर से परीक्षित नही हुआ है। अतः प्रकरण में परिवादिया व अभियुक्तगण के मध्य विवाद व झगडे का कारण स्वयं परिवादिया के मुताबिक पानी की बात को लेकर या बिजली कनेक्शन के संबंध में हो सकता है। परंतु परिवाद प्रदर्श पी 1 में वर्णित दिनांक 11.11.2014 को कथित घटना के दौरान अभियुक्तगण का सामान्य आशय परिवादिया की लज्जा भंग करने का रहा हो और लज्जा भंग करने के आशय से परिवादिया पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग अभियुक्तगण ने किया हो, ऐसा युक्तियुक्त संदेह

से परे साबित करने हेतु पर्याप्त व सुदृढ साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है। जिस कारण अभियुक्तगण पर धारा 354, 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध का आरोप पर्याप्त व सुदृढ साक्ष्य के अभाव में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होना नहीं माना जा सकता।

13. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर धारा 354, 34 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध का आरोप की **दिनांक 11.011.2014 को समय प्रातः करीब 07.00 ए0एम0 पर मौजा ग्राम हमीरपुर में अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादिया हीरा देवी की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया,** को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 354, 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

—::आदेश ::—

14. परिणामतः अभियुक्तगण मूलचंद पुत्र रामधन, रामस्वरूप पुत्र रामधन, नेहरू पुत्र मूलचंद, समस्त निवासीयान हमीरपुर थाना प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर, राज. को धारा 354, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाता हैं। अभियुक्तगण के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(मनोज कुमार)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर

15. निर्णय आज दिनांक 21.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित किया गया।

(मनोज कुमार)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर